समग्र शिक्षा अभियान
(सेकेण्ड्री एजुकेशन)
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
दूरभाष– 91–0755–2580024,2581064 फेक्स– 91–0755–2581064, Email: nveqfmp@gmail.com

क./व्या.शि./निर्देश/2021–22/ 2751 भोपाल, दिनांक 21/10/2021

प्रति,

1. जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले, म.प्र.

2. प्राचार्य,
संबंधित शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
समस्त जिले, म.प्र.

विषयः–समग्र शिक्षा (सेकेण्ड्री एजुकेशन) अंतर्गत नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना के संचालन विषयक।

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क./SS(SE)/व्याव.शि./2021–22/2528 दि. 14.09.2021

—00—

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा (सेकेण्ड्री एजुकेशन) के तहत केन्द्र प्रवर्वित नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना प्रदेश के चयनित शास. उ.मा.विद्यालयों में संचालित है।

सदंर्भित पत्र अनुसार समस्त विद्यालयों में ट्रेडवार व्यावसायिक प्रशिक्षक को उपस्थित कराये जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। विद्यालयों में अतिथि व्याख्यान(GL), औद्योगिक भ्रमण(IV) के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं। अतिथि व्याख्यान एवं औद्योगिक भ्रमण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था स्थानीय निधि से की जाए। अतिथि व्याख्यान एवं औद्योगिक भ्रमण हेतु विद्यालयों को राशि आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है। Covid-19 प्रोटोकोल का पालन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें –

1. **अतिथि व्याख्यान** (Guest Lecture) –

नवीन व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार विषयवस्तु से संबंधित कौशल की अद्यतन जानकारी छात्रो को प्रदान करने हेतु प्रति माह प्रति कक्षा, प्रति ट्रेड 2 अतिथि विद्वानों/विशेषज्ञों के व्याख्यान का प्रावधान है। अतिथि व्याख्यान हेतु :–.

- पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई., इंजीनियरिंग कॉलेज तथा शासकीय/प्रतिष्ठित अशासकीय/वाणिज्यिक संस्थानों/उद्योगों के विशेषज्ञों को बुलाया जाए। अतिथि विद्वान को रु.500/– मानदेय प्रति व्याख्यान एवं आने जाने का वास्तविक किराया (यदि बाहर से बुलाया जाता है तो अतिरिक्त राशि रु.200/–)। किसी अन्य विद्यालय में कार्यरत् व्यावसायिक प्रशिक्षक को अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित न किया जाये।
- व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा इस संबंध में प्रत्येक माह की 2 तारीख तक GL का प्लान प्राचार्य के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।
- ट्रेड संबंधी विशिषठ विशेषज्ञों की स्थानीय स्तर पर अनुपलब्धता होने पर VTP द्वारा प्रत्येक माह में एक अतिथि व्याख्यान वर्चुअल माध्यम से, देश स्तर के विशिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिय कराया जाकर अतिथि व्याख्यान की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इस हेतु आपके द्वारा विद्यालय में उपस्थिति कराए गए व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा आवश्यक व्यवस्थाऐं की जाएं जिससे समस्त छात्र इसका लाभ उठा सकें। अनुबंध अनुसार इस हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- प्लान के आधार पर प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि वह देखे कि जिस व्यक्ति का नाम गेस्ट लेक्चर हेतु प्रस्तावित किया गया है उसकी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव उपयुक्त है या नहीं ? उपयुक्त व्यक्ति को ही गेस्ट लेक्चर के लिये आमंत्रित किया जायेगा।
- गेस्ट लेक्चरर के लिये आमंत्रण पत्र प्राचार्य के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा।
- सामान्यतः किसी भी अतिथि व्याख्याता की व्याख्यान हेतु पूरे सत्र में दो से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।
- एक ही दिवस में एक अतिथि विद्वान से एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक कक्षा का अतिथि व्याख्यान नहीं करवाया जाए।
- गेस्ट लेक्चर के दिवस ही अतिथि व्याख्याता/विशेषज्ञ को क्रॉस्ड चेक के माध्यम से मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसका पूर्ण दायित्व प्राचार्य का होगा।
- अतिथि व्याख्यान उसी विषयवस्तु से संबंधित होना चाहिए जो उस माह में पढ़ाई जा रही है।
- अतिथि व्याख्यान के समय छात्रों की शत् प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।
- अतिथि व्याख्यान के पश्चात् छात्रों को अतिथि विद्वान से विषयवस्तुं से संबंधित प्रश्न पूछने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करलें कि व्याख्यान छात्रों के लिये उपयोगी हो, तथा इससे उनके ज्ञान/कौशल के स्तर में वृद्धि हो।
- आयोजित किए गए गेस्ट लेक्चर की जानकारी शाला स्तर से प्रतिमाह विमर्श पोर्टल पर अपलोड करें।
- संस्था में आयोजित गेस्ट लेक्चर के फोटोग्राफ एवं मिनिट्स रजिस्टर पर सुरक्षित रखे जावें तथा प्राचार्य एवं जिला व्यावसायिक समन्वयक को अवलोकित कराया जावे।

2. औद्योगिक भ्रमण –

- व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड के पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम में उद्योगों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है ताकि नियोक्ताओं एवं विद्यार्थियों के लिये यह उपयोगी हो सके एवं कुशल मानव संसाधनों की मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर को पूरा कर सके।
- प्रति औद्योगिक भ्रमण अधिकतम रु.3000 का व्यय किया जा सकेगा।
- वर्तमान सत्र में प्रत्येक विद्यालय के लिये पहला औद्योगिक भ्रमण द्वितीय इकाई के पश्चात, दूसरा औद्योगिक भ्रमण तृतीय इकाई के पश्चात एवं तीसरा औद्योगिक भ्रमण पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात, आयोजित किये जावे।
- स्थानीय स्तर पर औद्योगिक भ्रमण हेतु पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई., इंजीनियरिंग कॉलेज तथा शासकीय/प्रतिष्ठित अशासकीय/वाणिज्यिक संस्थानों/Industries का चयन किया जाएगा। शासकीय संस्थानों को प्राथमिकता दी जाये।
- प्लान के आधार पर प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चत करें कि औद्योगिक भ्रमण विषयवस्तु अनुसार विद्यार्थियों के लिये उपयोगी है, अन्यथा की स्थिति में उपयुक्त Industry हेतु VT को मार्गदर्शित करेगें।

- औद्योगिक भ्रमण हेतु प्राचार्य के हस्ताक्षर से संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेज / पॉलीटेक्निक / आई.टी.आई. / शासकीय / प्रतिष्ठित अशासकीय / वाणिज्यिक संस्थान तथा Industry को पत्र जारी किया जाए।
- एक ही सत्र में कक्षा विशेष को एक ही Industry का औद्योगिक भ्रमण पुनः नहीं कराया जाए।
- औद्योगिक भ्रमण पर व्यय के देयकों का भुगतान प्रचार्य द्वारा किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों का आवागमन एवं स्वल्पाहार इत्यादि व्यय सम्मिलित है।
- औद्योगिक भ्रमण के समय छात्रों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।
- औद्योगिक भ्रमण के पश्चात् छात्रों को विषयवस्तु से संबंधित प्रश्न पूछने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- व्यावसायिक प्रशिक्षक तथा प्राचार्य / विद्यालय का एक नियमित शिक्षक विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण हेतु ले जाने के पूर्व, एक बार उस (Industry) उद्योग का भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लें कि यह भ्रमण उस क्षेत्र के विद्यार्थियों हेतु उपयुक्त है।
- विद्यार्थियों के साथ विद्यालय के व्यावसायिक प्रशिक्षक के साथ एक व्याख्याता / शिक्षक / शिक्षिका को भेजने का दायित्व प्राचार्य का होगा। भ्रमण दल में यदि बालिकाएं भी हैं तो विद्यालय की एक महिला शिक्षिका का साथ होना आवश्यक है। विद्यार्थियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।
- औद्योगिक भ्रमण हेतु विद्यार्थियों के पालक / अभिभावक को भ्रमण के कम से कम 03 दिवस पूर्व अवगत करा दें। भ्रमण के लिये किसी भी तरह की कोई भी राशि विद्यार्थियों से नहीं ली जाए।
- औद्योगिक भ्रमण की जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड की जाए।
- औद्योगिक भ्रमण के समय कोविड नियमों का पालन करें ।
- वर्ल्ड स्किल डे, स्किल काम्पटीशन, मूल्यांकन, व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार, जॉब मेला इत्यदि सभी गतिविधियां **परिस्थिति अनुसार VTP** ऑन लाइन / ऑफ लाइन करवाना सुनिश्चित करें।
- महामारी की परिस्थिति में VTP द्वारा वर्चुअल औद्योगिक भ्रमण करवाया जाए तथा औद्योगिक भ्रमण की रिकार्डिंग ई–मेल nveqfmp@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।
- VTP प्रत्येक इकाई के 5 निबंधत्मक प्रश्न, 10 संक्षिप्त उत्तर प्रश्न, 10 एक लाइन के उत्त्र प्रश्न, 10 बहु विकल्प प्रश्न, एवं 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न संबंधित ट्रेड के कक्षा वार उत्तर सहित हिन्दी एवं अंग्रजी में प्रश्न बैंक बनाकर साफ्ट कॉपी में ई–मेल nveqfmp@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

क./व्या.शि./निर्देश/2021-22/ 2742 भोपाल, दिनांक 21 /10/2021

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, म.प्र. समस्त जिले की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला व्यावसायिक समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, म.प्र. समस्त जिले की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.